FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम अराई (अजमेर)

1. रतन पुत्र माधु जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

–प्रार्थी

बनाम

• गोपाल पुत्र सोन्या जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज0 व अन्य

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 आरटीए

ऑनलाइन नंबर 2025 / 58/2025

वकील प्रार्थी :– श्री रामेश्वरलाल चोधरी, पंकज बोहरा   **वकील अप्रार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5.9.25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल चोधरी, पंकज बोहरा ने अन्तर्गत धारा धारा 111,128 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 3.10.25 ....को पेश हो। WP उपखण्ड अधिकारी अरांई	
3/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रतिवादी गण अनु0। प्रतिवादी सं 1 से 4, 7 से 17, 19 से 28 के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 18 के बदस्तूर तामिल नोटिस प्राप्त हुए। प्रतिवादी से 5, 6, 18 के तामिली हेतु पत्रावली दिनांक 10/10/25 को पेश हो।	
10/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रतिवादी से 5, 6, 18 की तामिली हेतु दिनांक 17/10/25 को पेश हो। WP	

17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। प्रतिवादी 5, 6, 18 की तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण 5, 6, 18 बावजूद तामील गैर हाजिर। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 31/10/25 को पेश हो।

31.10.25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान हाजिर। प्रतिवादी 1-4, 7-14, 19-78 5, 6, 18 बावजूद तामील गैर हाजिर। प्रतिवादीगण के एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2025

1. रतन पुत्र माधु जाति रेगर आयु लगभग 68 वर्ष
2. रामनिवास दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाति रेगर आयु लगभग 47 वर्ष
3. श्योजी पुत्र माधु जाति रेगर आयु लगभग 60 वर्ष
4. बदाम पुत्री माधु जाति रेगर आयु लगभग 70 वर्ष
5. लाली पुत्री माधु जाति रेगर आयु लगभग 50 वर्ष

सर्वनिवासीगण ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1.गोपाल पुत्र सोन्या जाति रेगर
2.पांचू पुत्र लादू जाति रेगर
3.भागचन्द पुत्र ऊँकार जाति रेगर
4. महावीर पुत्र मोहन जाति रेगर

सर्व निवासीगण ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

5.कमला पुत्री लाला जाति रेगर
6. छोटी पत्नि पन्ना जाति रेगर
7.रामरतन पुत्र धन्ना जाति रेगर
8.भागचन्द पुत्र धन्ना जाति रेगर
9.ओमप्रकाश पुत्र धन्ना जाति रेगर
10. सुरेश पुत्र किशन जाति रेगर
11. सुनील पुत्र किशन जाति रेगर
12. सुरेन्द्र पुत्र किशन जाति रेगर
13. सुदील पुत्र किशन जाति रेगर
14. दिनेश पुत्र किशन जाति रेगर
15. धारा पत्नि रामनिवास जाति रेगर
16. प्रेम पत्नि हीरा जाति रेगर
17. फूला पत्नि श्योजी जाति रेगर
18. मीरां पुत्री लाला जाति रेगर
19. नाबालिग यतीन्द्र पुत्र हीरा संरक्षक सरपरस्त माता प्रेम जाति रेगर
20. विमला पत्नि रतन जाति रेगर
21 सोसर पत्नि अमरचन्द जाति रेगर

सर्व निवासीगण ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

22. अरविन्द कुमार कासोटिया पुत्र गीगराज कासोटिया जाति रेगर
23. इन्द्रा पुत्री धन्ना जाति रेगर
24 उमराव पुत्र काना जाति रेगर
25. ओमप्रकाश पुत्र बंशी जाति रेगर
26. कंचन पुत्री झीता जाति रेगर
27. कमला पत्नि गणपत जाति रेगर
28. नाबालिग करण जाटोलिया पुत्र बेनाथ संरक्षक माता बसन्ति जाति रेगर
29. कैलाश पुत्र श्रवण जाति रेगर
30. कालूराम दत्तक पुत्र केला जाति रेगर
31 नाबालिग गजानन्द जाटोलिया पुत्र बेनाथ संरक्षक माता बसन्ति जाति रेगर
32. गणेश पुत्र कालुराम जाति रेगर
33 गीता देवी पत्नि बंशी जाति रेगर
34 चन्द्रकला पुत्री भगवान जाति रेगर
35. छोटी पत्नि मोहन जाति रेगर
36 जगदीश पुत्र श्रवण जाति रेगर
37. ज्ञानी पत्नि भगवान जाति रेगर
38 धन्नी पत्नि झीता जाति रेगर

WR

39 नोरतमल पुत्र बंशी जाति रेगर
40. पूजा पुत्री कालुराम जाति रेगर
41 पप्पू पुत्र बींजा जाति रेगर
42. प्रेम पुत्री झीता जाति रेगर
43. पांचू पुत्र लादू जाति रेगर
44. बसन्ति पत्नि बेनाथ जाति रेगर
45. भागचन्द पुत्र मोहन जाति रेगर
46. भागचन्द पुत्र झीता जाति रेगर
47. मंजु पुत्री भगवान जाति रेगर
48 मदनलाल पुत्र किशन जाति रेगर
49. मनफुल पत्नि रामेश्वर जाति रेगर
50. मैना पुत्री मोहन जाति रेगर
51. मूलचन्द पुत्र किशन जाति रेगर
52. नाबालिग मंशा पुत्री कालुराम संरक्षक सरपरस्त माता रामकन्या जाति रेगर
53. महेन्द्र पुत्र गणपत जाति रेगर
54 महवीर पुत्र बींजा जाति रेगर
55. मांगीलाल पुत्र झीता जाति रेगर
56. मोहन पुत्र लादू जाति रेगर
57. रेखा पुत्री गणपत जाति रेगर
58. रतनी पत्नि कालू जाति रेगर
59.रसाल पत्नि रामदयाल जाति रेगर
60. नाबालिग राकेश पुत्र कालूराम संरक्षक सरपरस्त माता रामकन्या जाति रेगर
61 रामकन्या पत्नि कालूराम जाति रेगर
62रामरतन पुत्र छीतर जाति रेगर
63. रामस्वरूप पुत्र मोहन जाति रेगर
64. लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतर जाति रेगर
65. लाडां पुत्री कालू जाति रेगर
66 श्योजी पुत्र हुक्मा जाति रेगर
67संतोष पत्नि छीतर जाति रेगर
68. सुमित्रा पत्नि पप्पू जाति रेगर
69सूरजकरण पुत्र भगवान जाति रेगर
70. सुरेश पुत्र गणपत जाति रेगर
71सीता राम पुत्र बंशी जाति रेगर
72. सीताराम पुत्र मोहन जाति रेगर
73. सीमा पुत्री मोहन जाति रेगर
74. सोहन पुत्र सुगना जाति रेगर
75. हनुमान पुत्र कालू जाति रेगर
सर्व निवासीगण ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
76. रामकिशन पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण
77 रामावतार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण
सर्व निवासीगण ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
78. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय अराई जिला अजमेर राजस्थान

– अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 31/10/25

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11111 राजस्थान भू.राजस्व
अधिनियम 1956 के तहत

वकील वादी श्री रामेश्वरलाल चोधरी, एडवाकेट
श्री पंकज बोहरा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामेश्वरलाल चोधरी, पंकज बोहरा एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो ... रिपोर्ट दिनांक 4.9.2025.को माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला म... दर्ज रजिस्टर क्रमांक 58 / 2025.पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी ... गई।

WD

वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढसूक, तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 71 के खसरा संख्या 281 क्षेत्रफल 2.9529 हेक्टेयर किस्म बंजर 1. बारानी 2 है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीगण के ही कब्जा व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 281 के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण (चारो दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 77 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 282, 260, 287, 288 स्थित है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार अराई को किया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश क्रमांक / आका / 3232 दिनांक 09.06. 2025 एवं ऑन लाईन सीमाज्ञान आदेश क्रमांक / 2025 / 21824 / 6 की पालना में हल्का पटवारी के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 12.06.2025 को तैयार किया गया था। मौके पर मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये गये है। उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थीगण सन्तुष्ट हुये जब कि अप्रार्थीगण असंतुष्ट हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग करके कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण मौके पर अपनी कृषि भूमि पर जहां काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है उसी का सीमाज्ञान करवाने पर सीमाएं सही पायी गयी। प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 77 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीगण को पड़ौसी खातेदार बिना किसी वजह के प्रार्थीगण को काश्त करने में में बाधा रूकावट कारित करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 281 की भूमि की पत्थर गढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण एवं अडौस पडौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पड़ौसी खातेदारो से विवाद नही हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पडौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थर गढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्वाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह उपयोग उपभोग काश्त करते है तब प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान बिना वजह बिना कारण सीमा को लेकर विवाद करते है एवं प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 12 06.2025 को बनायी गयी है उसके बाद भी अप्रार्थीगण के द्वारा विवाद करने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 77 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा की सीमाओ से लगती हुई स्थित होने से पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 78 को राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दिनांक 4.9.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये । दिनांक 3.10.2025 व 17.10.2025 को सम्मन नोटिस तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 31.10.2025 को बावजूद सम्मन नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षियी कार्यवाही की गई । हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 71 के खसरा संख्या 281 क्षेत्रफल 2.9529 हेक्टेयर किस्म बंजर 1. बारानी 2 भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने

wr

पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.10.25......को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)